ले.प.प्रति.सं.51/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **गोपेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **गोपेश्वर** के **04/2005** से **11/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **24.12.2018** से **29.12.2018** तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक-इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा एस.एन. सिंह एवं श्री एस लाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 16.04.2003 से 22.04.2003 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमें माह 04/1998 से 03/2003 तक के अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2005** से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **गोपेश्वर**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	18.80	17.37	300.58	299.58	-	2.12
2016-17	-	-	21.12	18.89	429.64	409.09	-	22.78
2017-18	-	-	15.96	15.96	458.84	457.95	-	0.89
2018-19 (11/2018 तक)	-	-	13.65	8.52	506.86	320.43	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला कमांडेंट
वैतनिक निरीक्षक
प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **गोपेश्वर** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **09/2006**, **09/2009**, **09/2011, 08/2014, 10/2016,** एवं **05/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

-------------- शून्य ----------------

Part-II (B)

Para:1- Non-inposition of service tax/GST by the department RS7.21 lakh.

Clarifications issued by the Service Tax Department in September 2011 provide that though the burden of Service Tax rests on the service recipient, the law requires the service provider to collect the tax from the service recipient on the services provided and deposit the same in the Government Account. Further, Para 7.2 and 7.3 envisaged that irrespective of whether the service provider receives the Service Tax from his client (service recipient) or not, he is legally bound to pay the due Service Tax in respect of the services rendered by him. However, the tax liability will be to the full extent on the total amount to be received by the service provider.

Audit Scrutiny revealed that Department did not levy Service Tax in respect of duty allowances of volunteers in Home Guards, engaged in Food Corporation of India from 2013-14 to 2018-19 amounting to ₹ 45.34 lacs.

However, during the inspection of HQs at Dehradun, it was observed that whenever department hired home guards from UPNL (UttarakahndPurvaSainik Kalyan Nigam Ltd.), UPNL charged service tax @15% prior to implementation of GST and 18% GST (9% CGST + 9% SGST) wef 01.07.2017. The department outsourced home guards to various semi-govt. offices /PSUs and charged wages ₹ 45.35 lakh but didn't realise service tax/GST as detailed below.

Service Tax

Year	Total payment made by FCI	Service tax @15%
2012-13	470095	70514
2013-14	434320	65148
2014-15	562375	84356
2015-16	845665	126850
2016-17	865610	129841
Total	**3178065**	**476709**

GST

Year	Total payment made by FCI	GST @ 18%
2017-18	813675	146462
2018-19	542610	97670
Total	**1356285**	**244132**

Thus, the department didn’t realise service tax/GST of ₹720841 (₹476709+₹244132= ₹720841).

On this being pointed out, the department replied that there is no instruction in this regardfrom HQs.

The reply is not acceptable since it was the duty of the office to levy service tax/GST upon the service receiving department and deposit it intoGovt account.

Therefore, the matter is being brought into the notice of higher authorities.

STAN

<u>प्रस्तर:1</u>- निर्माण उपरांत शेष धनराशि का समर्पण न किया जाना ₹ 18,806।

कार्यालय के लघु निर्माण संबंधी पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि मुख्यालय के पत्र संख्या सीजी-162/हो. गा./2017/758 दिनाँक 21-7-2018 के द्वारा कार्यालय की विभागीय भूमि पर तार-बाड़ कार्य किए जाने हेतु धनराशि ₹ 1.50 लाख आवंटित की गयी थी। उक्त कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, दशोली चमोली द्वारा कराया गया था। संबन्धित विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करने के उपरांत ₹ 1.50 लाख के सापेक्ष ₹ 1.31 लाख मात्र का व्यय किया गया तथा अवशेष राशि ₹ 18,806 इस कार्यालय को वापिस कर दिया गया था। धनराशि ₹ 18,806 अभी भी कार्यालय के पास अवरूद्ध पड़ी है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि धनराशि जमा करने हेतु मुख्यालय से पत्राचार किया गया था, किन्तु इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण ₹ 18,806 का समर्पण न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकांश स्वीकृत पदों का रिक्त रहना।

कार्यालय के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्तियों की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

वैतनिक कर्मी

क्र.सं .	पदनाम	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	रिक्त
1	जिला कमांडेंट	01	-	01

होमगार्ड्स

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	रिक्त
1	होमगार्ड्स स्वयं सेवक	384	364	20

होमगार्ड्स अवैतनिक अधिकारी

क्र.सं .	पदनाम	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	रिक्त
1	प्लाटून कमांडर	12	05	07

होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की स्वीकृत नियतन के सापेक्ष उपलब्धता न होने के कारण, होमगार्ड्स को विभिन्न कार्यों हेतु तैनाती, जैसे प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में, शांति व्यवस्था हेतु, मेले एवं अन्य आयोजनों हेतु, चुनाव ड्यूटि हेतु, अन्य विविध कार्यों हेतु, प्रभावित हो रही थी।

इसी प्रकार अवैतनिक प्लाटून कमांडर का प्रमुख कार्य अपने नीचे काम कर रहे होमगार्ड्स का प्रबंधन एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। इन पदों में रिक्तता के कारण होमगार्ड्स का प्रबंधन एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावित हो रहा था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि रिक्तियों को भरने संबंधी कार्य मुख्यालय स्तर पर लंबित है। अतः विभागीय शिथिलता के कारण रिक्तियों को न भरे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

<u>प्रस्तर:3</u>- विभागीय शिथिलता के कारण कल्याण कोष के प्रकरणो का लंबित रहना ₹ 1.00 लाख।

कल्याण कोष की पत्रावली एवं अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि स्वयं सेवक श्री गोपाल लाल पुत्र श्री मुर्खुल्यालाल (सेवा पृथक) का आर्थिक सहायता हेतु जून 2017 से निस्तारित नहीं किया गया है, जिस कारण से स्वयं सेवक को आर्थिक सहायता मिलने में विलंब हुआ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण मुख्यालय पर लंबित है।

अतः मुख्यालय के द्वारा कल्याण कोष के प्रकरण को गंभीरता से न लेने के कारण स्वयं सेवक को आर्थिक सहायता मिलने में हो रहे विलंब का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:4- निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी का लंबित रहना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि " Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. "

कार्यालय की निष्प्रयोज्य वस्तुओं से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया किस्टोर में 49 सामग्रियाँ जिनका मूल्य ₹ 72696 था (जिसमे 6 सामग्रियों का मूल्य सम्मलित नहीं है), निष्प्रयोज्य अवस्था में थे, जिनकी नीलामी लंबित थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
11/2003-04	**-**	**-**	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **गोपेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-शून्य**

2. सतत् अनियमिततायेः शून्य-

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री संजय कुमार मिश्र	उपजिलाधिकारी	01.04.2003	26.09.2005
2.	श्री उदय सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	27.09.2005	27.10.2005
3.	श्री बिशन चन्द्र सक्सेना	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	28.10.2005	29.12.2005
4.	श्री उदय सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	30.12.2005	12.12.2006
5.	श्री गोविंद राम आर्य	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	12.12.2006	31.05.2007
6.	श्री उदय सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	01.06.2007	02.10.2007
7.	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	03.10.2007	02.12.2007
8.	श्री बी.पी. कांडपाल	कोषाधिकारी	03.12.2007	11.08.2008
9.	श्री चन्द्र सिंह इमलाल	उपजिलाधिकारी	12.08.2008	30.08.2009
10.	श्री ओमप्रकाश पंत	कोषाधिकारी	31.08.2009	11.03.2010
11	श्री राजीव बलोनी	कमांडेंट	12.03.2010	22.10.2010
12.	श्री ललित मोहन जोशी	जिला कमांडेंट	23.12.2010	17.10.2011
13.	श्री स्वतंत्र कुमार	पुलिस उपाधीक्षक	18.10.2011	16.12.2011
14.	श्री गौतम कुमार	जिला कमांडेंट	17.12.2011	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियनितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र